सं.19(9)/संस्था सम./2011

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था समन्वय

नई दिल्ली, 13, सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों आदि के आयोजन हेतु अनुमोदन।

ऐसा देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आयोजन के लिए सचिव (व्यय) के माध्यम से मंत्रिमण्डल सचिव के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव अंतिम क्षणों में भेजे जाते हैं। अभी हाल ही के एक मामले में संगोष्ठी का आयोजन 6 सितम्बर को होना था तथा इससे संबंधित फाइल मंत्रिमण्डल सचिव के अनुमोदन हेतु 5 सितम्बर को इस विभाग में भेजी गई। उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय मंत्रिमंडल सचिव ने यह पाया कि विभाग को इस प्रस्ताव को समय से पहले प्रस्तुत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए था और उन्होंने निर्देश दिया कि वित्त सलाहकारों को ऐसी आवश्यकता के बारे में बताया जाए। इस संबंध में इस विभाग के 31 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)/संस्था. सम./2010 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिव से अनुमोदन (जहां ऐसा अनुमोदन निर्धारित हो) प्राप्त करने के लिए सचिव (व्यय) को प्रस्ताव सम्मेलन/कार्यशाला की तारीख तथा आमंत्रण पत्र जारी करने से कम से कम एक माह पहले भेजे जाएं।

2 यह दोहराया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित ऐसे प्रस्ताव, जहां व्यय मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक हो, कम से कम एक माह पूर्व इस विभाग को भेजे जाएं। मंत्रालयों/विभागों में वित्त सलाहकार प्रशासनिक विभागों को उपयुक्त सलाह दें ताकि नियत समय-सीमा का अनुपालन हो सके।

मधुलिका प्र. सुकुल 13/9/11

(मधुलिका पी. सुकुल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी वित्त सलाहकार (नाम से)।